निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 643) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2016

सं0 3ए-9-विविध-24/2013-**6151/वि०**

वित्त विभाग

संकल्प

3 अगस्त 2016

विषयः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710, दिनांक 17/10/2013 के सभी शर्त्तों को पूरा करनेवाले वैसे कार्यभारित कर्मी जिनकी सेवानिवृति/मृत्यु संकल्प निर्गत होने की तिथि (17/10/2013) एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में हो जाती है, उन्हें सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य किए जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710, दिनांक 17/10/2013 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मियों को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मी जिनकी नियुक्ति दिनांक 11/12/1990 को या उसके पूर्व हुई है, को नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य किए जाने की तिथि का प्रावधान इसी संकल्प की कंडिका-4(ii) में इस प्रकार किया गया है— "इसका लाभ उन कर्मियों को ही मिलेगा जो इस नीतिगत निर्णय सम्बन्धी संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि को सेवा में हो।

2. राज्य सरकार के अधीन के कार्यालयों/विभागों द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मी जो संकल्प संख्या-10710, दिनांक 17/10/2013 की शर्त्तों को पूरा करते हैं, किन्तु 17/10/2013 एवं प्रशासी विभाग द्वारा नियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते हैं, उन्हें नियमितीकरण का लाभ देय होगा अथवा नहीं।

3. श्रीमती विश्वपति देवी के पति स्व० मुसाफिर महतो पथ निर्माण विभाग में कार्यभारित स्थापना में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु 17/10/2013 एवं समायोजन संबंधी विभागीय आदेश निर्गत की तिथि के मध्य में हो गयी। श्रीमती विश्वपति देवी द्वारा पेंशनादि के लिए सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-16929/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20/02/2015 को न्यायादेश पारित

किया गया। इस न्यायादेश द्वारा श्रीमती विश्वपति देवी को उनके पति की मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ प्रदान करने तथा तदनुसार परिवार पेंशनादि के गणना करने का आदेश दिया गया।

4. उल्लेखनीय है कि संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई करने के क्रम में पूरे राज्य से अभिलेख प्राप्त कर आदेश निर्गत करना होता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। अतएव, अंतिम आदेश निर्गत होने में हुए प्रक्रियात्मक विलम्ब में उन कर्मियों को प्राकृतिक रूप में दोषी नहीं माना जा सकता।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए ऐसे मामलों में नियमितीकरण के लाभ की अनुमान्यता के सन्दर्भ में निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि वैसे कार्यभारित कर्मी जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या–10710, दिनांक 17/10/2013 के सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं परन्तु संकल्प निर्गत होने की तिथि (17/10/2013) एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते हैं, तो उन्हें भी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य होगा।”

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 643-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in